

***जनपद-संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 17.03.2025*

डीजे बजाने को लेकर मारपीट व आगजनी के घटना में थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज पांचवे अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110/326(f) बीएनएस के विवेचना के क्रम में उक्त घटना में संलिप्त ***अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर*** को आज दिनांक 17.03.2025 को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय भेजा गया ।

दिनांक 14.03.2025 को वादी श्री सुरेन्द्र राजभर पुत्र चौथी राजभर निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर सूचना दी गयी कि दिनांक 14.03.2025 को अनिल के दरवाजे पर बच्चे डीजे बजाकर नाच रहे थे तभी गांव के ही 01.रत्नेश तिवारी 02.अशोक तिवारी 03.राकेश द्वारा डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद किए थे बाद में शाम को विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर लाठी डंडों से मारा पीटा गया था व छप्पर में आग लगा दिया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 64/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110/326(f) बीएनएस बनाम 1. रत्नेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, 02. अशोक तिवारी पुत्र परमात्मा, 03-अभिषेक तिवारी उर्फ गोलू पुत्र संजय तिवारी, 04 राकेश तिवारी पुत्र परमात्मा निवासीगण करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत किया गया, जिसमें अबतक 1.रत्नेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, 02. अशोक तिवारी पुत्र परमात्मा, 03-अभिषेक तिवारी उर्फ गोलू पुत्र संजय तिवारी परमात्मा 04. जय प्रकाश यादव पुत्र टिहुल यादव निवासीगण करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा जा चुका है ।

उक्त प्रकरण के तफ्तीश में घटना कारित करने में आरोपित पाये जाने पर अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 17.03.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया । उक्त घटना को कारित करने में संबंध में जांच प्रचलित है, किसी भी अन्य अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है । अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता पाये जाने पर आगे भी कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- 01- योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:- उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0का0 पंकज, का0 सूर्यप्रकाश यादव

विवेचना के दौरान मारपीट व आगजनी के घटना में 1- जय प्रकाश यादव पुत्र राम टिहुल यादव, 02. रामपूजन यादव पुत्र जयराम, 03. योगेन्द्र पुत्र स्व0 फूलदेव यादव, 04. कुन्ज बिहारी पुत्र कपिलदेव तिवारी निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर अभियुक्तगण प्रकाश में आये तथा प्रकरण की गंभीरकता को देखते हुए धारा 326(g)/131/191(2)BNS की बढोतरी किया गया व धारा 326(f) बीएनएस को विलोपित किया गया*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110/326(f) बीएनएस के विवेचना के क्रम में उक्त घटना में संलिप्त प्रकाश में आए 01 अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को विश्वनाथपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर मा0न्यायालय भेजा गया । *गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-* 01- योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:- उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0का0 पंकज, का0 सूर्यप्रकाश यादव

विदित हो कि दिनांक 14.03.2025 को उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी श्री सुरेन्द्र राजभर के घर के बगल में अनिल के दरवाजे पर डीजे बजाकर होली मना रहे थे तभी अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज किया गया तथा दिनांक 14.03.2025 को शाम को उक्त अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर मारपीट व छप्पर में आग लगा दिए । जिसके संबंध में थाना महुली पर लिखित प्रा0पत्र दिए, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 64/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110/326(f) बीएनएस बनाम 1.रत्नेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, 02. अशोक तिवारी पुत्र परमात्मा, 03-अभिषेक तिवारी उर्फ गोलू पुत्र संजय तिवारी, 04 राकेश तिवारी पुत्र परमात्मा निवासीगण करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत किया गया । अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कर दिनांक 15.03.2025 को 03 नामजद अभियुक्तगण 1.रत्नेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, 02. अशोक तिवारी पुत्र परमात्मा, 03-अभिषेक तिवारी उर्फ गोलू पुत्र संजय तिवारी परमात्मा निवासीगण करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय भेजा जा चुका है तथा प्रकाश में आए अभियुक्त जय प्रकाश यादव पुत्र टिहुल यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 16.03.2025 को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय भेजा जा चुका है तथा आज दिनांक 17.03.2025 को प्रकाश में आए अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को विश्वनाथपुर तिराहे से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया ।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01 राजेश उर्फ राजू पुत्र शिवपूजन जायसवाल निवासी देवरिया घाट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, का0 दीपक सिंह, का0 रंजन कुमार सिंह।

02 थाना महुली पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता अशोक पुत्र चुन्नू गुप्ता निवासी हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, का0 छोटेलाला

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5998 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत हैंसर बाजार से कालर द्वारा मारपीट/विवाद में स्वयं के घायल होने (1.अभिषेक पुत्र रामवचन निवासी हैंसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली ले जाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली ले जाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आ0 पंकज यादव, हो0चा0 रामवीर चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 82 वाहनों से 97,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 82 वाहनों से 97,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धर्मसिंहवा *सूश्री सरोज शर्मा* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 23/2025 धारा 115(2)/351(3)/105 बीएनएस में वांछित अभियुक्त 1. शिवा उर्फ शिवबालक माझी पुत्र विजय माझी निवासी बोधी बिगहा थाना चाण्डी जनपद नालन्दा राज्य बिहार को आज दिनांक 17.03.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 13.03.2025 को विपक्षी उपरोक्त द्वारा मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके उपरान्त थाना धर्मसिंहवा पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादी के पिता कुसेन्दर मांझी का दिनांक 13.03.2025 को मृत्यु हो गयी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 17.03.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक थाना धर्मसिंहवा, उ0नि0 श्री शिवाकुमार यादव, हे0का0 धर्मनाथ यादव, का0 संजय प्रसाद।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामलों में 01 अभियुक्त को 08 वर्ष सश्रम कारावास व 12,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 17.03.2025 को *माननीय न्यायालय एसजे/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संतकबीरनगर* के द्वारा 01 अभियुक्त को 08 वर्ष सश्रम कारावास व 12,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 744/2015 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र कोढ़ई विश्वकर्मा निवासी केकरहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र को धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 08 वर्ष सश्रम कारावास व 8000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष साधारण कारावास, धारा 363 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्षन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के मामलों में अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्षन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 17.03.2025 को *माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-2 संतकबीरनगर* के द्वारा 01 अभियुक्त को 02 वर्ष कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 224/2002 धारा धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त जाफर उर्फ टिकू बंजारा पुत्र नबी बंजारा निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अपराध के लिए 02 वर्ष के कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिवस कारावास में बिताना होगा।

डीजे बजाने को लेकर मारपीट व आगजनी के घटना में थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज पांचवे अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110/326(f) बीएनएस के विवेचना के क्रम में उक्त घटना में संलिप्त *अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर* को आज दिनांक 17.03.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

दिनांक 14.03.2025 को वादी श्री सुरेन्द्र राजभर पुत्र चौथी राजभर निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर सूचना दी गयी कि दिनांक 14.03.2025 को अनिल के दरवाजे पर बच्चे डीजे बजाकर नाच रहे थे तभी गांव के ही 01.रत्नेश तिवारी 02.अशोक तिवारी 03.राकेश द्वारा डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद किए थे बाद में शाम को विपक्षीय द्वारा एक राय होकर लाठी डंडों से मारा पीटा गया था व छप्पर में आग लगा दिया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 64/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110/326(f) बीएनएस बनाम 1. रत्नेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, 02. अशोक तिवारी पुत्र परमात्मा, 03-अभिषेक तिवारी उर्फ गोलू पुत्र संजय तिवारी, 04 राकेश तिवारी पुत्र परमात्मा निवासीगण करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत किया गया, जिसमें अबतक 1.रत्नेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, 02. अशोक तिवारी पुत्र परमात्मा, 03-अभिषेक तिवारी उर्फ गोलू पुत्र संजय तिवारी परमात्मा 04. जय प्रकाश यादव पुत्र टिहुल यादव निवासीगण करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा जा चुका है।

उक्त प्रकरण के तफ्तीश में घटना कारित करने में आरोपित पाये जाने पर अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 17.03.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया। उक्त घटना को कारित करने में संबंध में जांच प्रचलित है, किसी भी अन्य अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता पाये जाने पर आगे भी कठोर कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- 01- योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:- उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0का0 पंकज, का0 सूर्यप्रकाश यादव

डीजे बजाने को लेकर मारपीट व आगजनी के घटना में थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज पांचवे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना महुली पर **मु0अ0सं0 64/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110/326(f) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था, जिसमें अबतक कुल 04 अभियुक्त 1. रत्नेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, 02. अशोक तिवारी पुत्र परमात्मा, 03-आशुतोष तिवारी उर्फ गोलू पुत्र संजय तिवारी, 04 जय प्रकाश यादव पुत्र टिहुल यादव निवासीगण करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

उक्त प्रकरण के तफ्तीश में घटना कारित करने में धारा- 326(g)/131/191(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए पांचवे आरोपित अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 17.03.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया। उक्त घटना को कारित करने में संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता पाये जाने पर आगे भी कठोर कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- 01- योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:- उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0का0 पंकज, का0 सूर्यप्रकाश यादव।

डीजे बजाने को लेकर मारपीट व आगजनी के घटना में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज पांचवे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए थाना महुली पर ***मु0अ0सं0 64/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110/326(f) बीएनएस*** पंजीकृत किया गया था, जिसमें अबतक कुल 04 अभियुक्त 1. रत्नेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, 02. अशोक तिवारी पुत्र परमात्मा, 03-आशुतोष तिवारी उर्फ गोलू पुत्र संजय तिवारी, 04- जय प्रकाश यादव पुत्र टिहुल यादव निवासीगण करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

उक्त प्रकरण के तफ्तीश में घटना कारित करने में पांचवे आरोपित अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 17.03.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया। उक्त घटना को कारित करने में संबंध में गहनता से सभी पहलुओं पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- 01- योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:- उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, हे0का0 पंकज, का0 सूर्यप्रकाश यादव।